न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्याः 12/07 — **निर्णय दिनांकः– 27–11–2011**
(आरसीएमएस संख्या 2007/00004)

1. मोतीलाल पुत्र कालूराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तेजरासर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. मृतक बालूराम पुत्र दानाराम जाति सुथार वैधानिक प्रतिनिधि
1/1. रेडाराम
1/2. प्रहलादराम — पुत्रगण स्व. बालूराम
1/3. मोहनलाल
1/4. रामलाल
1/5. मेघाराम
1/6. श्रीमती हस्तू बेवा बालूराम
1/7. धन्नी पुत्री स्व. बालूराम
2. कुम्भाराम पुत्र स्व. दानाराम (मृतक)
2/1. इमरती पुत्री स्व. कुम्भाराम
2/2. तीजा पुत्री स्व. कुम्भाराम
2/3. श्रीराम पुत्र स्व. कुम्भाराम
2/3/1. सोना पत्नी स्व. श्रीराम
2/3/2. सन्तु पुत्री स्व. श्रीराम
2/3/3. माना पुत्री स्व. श्रीराम
2/4. रामदयाल पुत्र स्व. कुम्भाराम (मृतक)
2/4/1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. रामदयाल
2/4/2. राकेश पुत्र स्व. रामदयाल
2/4/3. निर्मला पुत्री स्व. रामदयाल
2/4/4. सुमित्रा पुत्री स्व. रामदयाल
2/4/5. परमेश्वरी पत्नी स्व. रामदयाल
3. रामेश्वर
4. मूलाराम — पिसरान टोडाराम
5. राधा
6. पाना

(उपरोक्त 1/6 से 6 तक) जाति सुथार निवासी ग्राम तेजरासर तह. व जिला बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. मृतक श्रीगोपाल पुत्र कालूराम जरिये कायम कुमामान्
7/1. देवकी बेवा स्व. श्रीगोपाल
7/2. प्रहलाद
7/3. गोविन्द — पुत्रगण स्व. श्रीगोपाल पुत्र कालूराम
7/4. सांवरलाल
7/5. नारायणराम
7/6. मनोहर
7/7. सम्पतलाल
8. मदनलाल पुत्र कालूराम (मृतक)
8/1. पुष्पादेवी पत्नी स्व. मदनलाल
8/2. करणीदान
8/3. इन्द्रा — पुत्र/पुत्रियॉ स्व. मदनलाल
8/4. कृष्णा
8/5. कान्ता
8/6. सुशीला
9. गौरीशंकर पुत्र कालूराम जाति ब्राहमण निवासी तेजरासर तहसील व जिला बीकानेर।
10. गणेश पुत्र कालूराम जाति ब्राहमण (मृतक)
10/1. नीनादेवी पत्नी गणेशमल
10/2. विशाल पुत्र गणेशमल — जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तेजरासर तहसील व जिला बीकानेर।
10/3. विकास पुत्र गणेशमल
10/4. विक्रम पुत्र गणेशमल

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 31–10–2006
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री बालकिशन शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 7/1, 7/3, 7/6, 7/7
3. श्री देवकिशन सेवदा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 8/1 से 8/6
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के आदेश दिनांक 31—10—2006 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम तेजसासर के खेत खसरा नम्बर 268 तादादी 45 बीघा 16 बिस्वा भूमि जोकि अपीलांट के कब्जे काश्त में है, के बाबत् वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25—07—1994 को अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि प्रार्थी/अपीलांट के विवादित आराजी के कब्जे में अप्रार्थीगण मदाखलत बेजा नहीं करें व न ही रिकार्ड में कोई परिवर्तन करें। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि समय—समय पर अदालत मातहत द्वारा बढ़ाई जाती रही। अदालत मातहत के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा बढ़ाई जारी रही है। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को विधि विरूद्व तरीके से खारिज कर दिया गया। जबकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि सवंत् 2012 से पूर्व से ही अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार हो चुके है तथा विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार को उसके अधिकारों की सुरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जानी चाहिए। वादग्रस्त भूमि के बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज चला आ रहा था। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सवंत् 2020 से उपकृषक का नाम जमाबन्दी व गिरदावरी में अंकित करना बन्द कर दिया गया। उसके पश्चात् से ही

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होना बन्द हो गया। परन्तु वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के हक व हकूक आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के पर्याप्त कारण मौजूद होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि पक्षकारों के हक व हकूकों का निर्धारण अपील में गुणावगुण पर तय होने है। ऐसी स्थिति में यदि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर भी दी जाती तो किसी पक्षकार के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना था। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करने रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्दबुर्द करने की पूर्ण संभावना है। लिहाजा वादग्रस्त भूमि की सुरक्षा हेतु रेस्पोडेन्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर दावे के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम तेजरासर के खेत खसरा नम्बर 268 तादादी 45 बीघा 16 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है। वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी सवंत् 2010, 2012, 2020 व 2021 से 2024 व उसके पश्चात् से ही अप्रार्थीगण के नाम से बतौर खातेदारी चली आ रही है तथा वादगत् भूमि की सिंचाई की रसीदे भी रेस्पोडेन्ट के नाम से है व सिंचाई का आबयाना भी रेस्पोडेन्ट द्वारा समय समय पर अदा किया जाता रहा है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा काफी मेहनत व रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। तमाम दस्तावेज रेस्पोडेन्ट के कब्जे को दर्शाती है।

उन्होंने आगे बताया कि पहले से काबिज काश्त में बैठे व्यक्ति को अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में मौके से बेदखल नहीं किया जा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सकता। अप्रार्थीगण का कब्जा पहले से ही चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में पुनः वादग्रस्त भूमि पर कब्जे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विस्तृत विवेचन करते हुए ही यह निर्धारित किया गया है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती तथा उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है क्योंकि तमाम राजस्व रिकार्ड से यह प्रथम दृष्टया ही यह साबित होता है कि अपीलांट ना तो वादग्रस्त भूमि के उपकृषक है ना ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त है। अपीलांट बिना किसी युक्तियुक्त कारण के व राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त के अभाव में रेस्पोडेन्ट के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करन के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 268 तादादी 45 बीघा 16 बिस्वा भूमि बाबत् दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25–07–1994 को अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि प्रार्थी/अपीलांट के विवादित आराजी के कब्जे में अप्रार्थीगण मदाखलत बेजा नहीं करें व न ही रिकार्ड में कोई परिवर्तन करें। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि समय–समय पर बढ़ाई जाती रही। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा बढ़ाई जारी रही है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(2) प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए दिनांक 25—07—2004 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वेकेट किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम तेजसासर के खेत खसरा नम्बर 268 तादादी 45 बीघा 16 बिस्वा भूमि जोकि सवंत् 2012 से पूर्व से ही अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार हो चुके है तथा विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार को उसके अधिकारों की सुरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जानी चाहिए। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी अपीलांट के कब्जे काश्त में नहीं रही है ना ही उनका वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार है। लिहाजा वे वादग्रस्त भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करन के अधिकारी नहीं है।

(4) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया ही साबित होता है कि अप्रार्थीगण का नाम जमाबन्दी सवंत् 2010, 2012, 2020 व 2021 से 2024 में बतौर खातेदार चला आ रहा है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि के ना तो उपकृषक है ना ही उनका वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

(5) प्रकरण में जहॉ तक सुविधा का संतुलन व अपूरणरीय क्षति का प्रश्न है इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब वादग्रस्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में मौके की स्थिति में परिवर्तन या मौके से बेदखल किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई फाईडिंग्स में किसी प्रकार का परिवर्तन करना उचित नहीं पाते है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के मध्य अधिकारों की धोषणा हेतु वर्ष 2004 से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद जैरकार है। ऐसी स्थिति में इतनी लम्बी अवधि तक के लिये रेस्पोडेन्ट जोकि प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि पर बतौर रिकार्डेड खातेदार काबिज है, को उनके जायज अधिकारों से अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में वंचित नही किया जा सकता है ना ही विधि इसकी अनुमति प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों इन्ग्रिडेन्ट्स पर अपना विस्तृत विवेचन अंकित करते हुए अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। लिहाजा अदालत मातहत के आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–10–2006 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27–11–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजस्व अपील अधिकारी)
बीकानेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.01 12:24:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: